भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3851
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)
महिलाओं का स्वयं-सहायता समूह

3851. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसादः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, विशेषकर महिलाओं की स्वयं सहायता समूह योजनाओं में कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूह योजना में तमिलनाडु सहित राज्य-वार कोई कदाचार के मामले पाए गए हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत सरकार ने पारदर्शिता, जवाबदेही और योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय निगरानी और समीक्षा तंत्र की स्थापना की है - विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जुड़े सामाजिक सुरक्षा घटकों के कार्यान्वयन में निम्नलिखित चरणों के माध्यम से:-

1. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के साथ नियमित समीक्षाः राज्य स्तर पर कार्य निष्पादन की समीक्षा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है, ताकि योजना कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं, दिशा-निर्देशों से विचलन तथा किसी भी संभावित अनियमितता की पहचान की जा सके।

2. निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकें: निष्पादन, अनुपालन और कार्यान्वयन की सत्यनिष्ठा की निगरानी के लिए राज्य सचिवों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षाएं आयोजित की जाती हैं।

3. प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के माध्यम से निगरानी: एक केंद्रीकृत एमआईएस ब्लॉक और जिला स्तर से वास्तविक समय डेटा एकत्र करता है, जिससे कार्यान्वयन की स्थिति पर निरंतर नज़र रखी जा सकती है।

4. क्षेत्रीय दौरे और स्वतंत्र निगरानी: राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता, सामान्य समीक्षा मिशन और मंत्रालय के अधिकारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नियमित क्षेत्रीय दौरा करते हैं। इन दौरों से योजना मानदंडों के जमीनी स्तर पर अनुपालना का आकलन किया जाता है। समय पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों के साथ टिप्पणियों और सिफारिशों को साझा किया जाता है।

5. तृतीय-पक्ष मूल्यांकन और आकलन: स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों को योजना कार्यान्वयन का आवधिक मूल्यांकन और आकलन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। ये अध्ययन विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूहों के पहलों की क्षमता, पारदर्शिता और प्रभाव की जाँच करते हैं।

6. इसके अलावा, चूंकि यह मिशन ग्रामीण समुदाय के साथ काम करता है, इसलिए मानक निगरानी और नियामक प्रावधानों के अलावा, महिलाओं को आत्मनिर्भर और जवाबदेह बनाने के लिए निम्नलिखित स्व-नियामक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाता है:

i) संघों में स्व-नियमन: स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के संघों को स्व-नियमन संचरचना को अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें आंतरिक मानदंड, मानकीकृत बहीखाता पद्धति, जोखिम निगरानी, सामुदायिक लेखा परीक्षा और क्षेत्र-व्यापी रिपोर्टिंग शामिल है। इस प्रकार का आंतरिक नियंत्रण बैंकों जैसी बाहरी संस्थाओं के साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वास को बढ़ाता है।

ii) सहभागी एवं समुदाय-आधारित निगरानी: सामुदायिक भागीदारी से प्रेरित होकर, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और स्थानीय हितधारकों को प्रगति और परिणामों की सक्रिय निगरानी करने के लिए सक्षम और प्रेरित किया जाता है। सहभागी निगरानी जैसे दृष्टिकोण–जहाँ स्थानीय लोग डेटा एकत्र करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं–निगरानी प्रक्रिया के स्वामित्व और प्रासंगिकता को सुदृढ़ करने में मदद करते हैं।

ख) डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पात्र और कमजोर परिवारों तक पहुँचना है। कार्यक्रम का पहला चरण पात्र परिवारों की पहचान करना और उन्हें एसएचजी में शामिल करना है। एसआरएलएम सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) के सहयोग से एसएचजी को एकत्रित और इसे गठित करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक सदस्य का नाम एक से अधिक एचएचजी में न दर्ज हो, एक केंद्रीकृत एमआईएस एप्लिकेशन, लोकओएस का उपयोग किया जाता है। डीएवाई-एनआरएल द्वारा शुरू किए गए लोकओएस में एसएचजी के प्रत्येक सदस्य को उनके आधार नंबर के माध्यम से पहचानने का प्रावधान है और यह देश में कहीं भी एक ही आधार नंबर को दो बार दर्ज करने की अनुमति नहीं देता है, इस प्रकार एचएचसी में 100% अद्वितीय सदस्य हो, यह सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए, तमिलनाडु सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महिला एसएचजी में किसी भी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है।

*****